

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/सां.नि./अग्रिम अध्ययन/1/78773/2018

दिनांक:- 11/1/2018

कार्यालय आदेश


विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है -

क्र.स.	नाम कर्मचारी	प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	प्रियंका महावर	एम.ए. अर्थशास्त्र (अंक सुधार)	कृषि (ग्रुप-1/मॉनि.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
2.	अजय कुमार मीणा	एम.ए. अर्थशास्त्र, संयुक्त स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर
3.	भोजराज	एम.ए. अर्थशास्त्र	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, परबतसर, नागौर
4.	राजेश कुमार माली	एम.ए. अर्थशास्त्र	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खण्डार, सवाईमाधोपुर
5.	मंजू शिवनानी	सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग)	उप निदेशक, (प्रारम्भिक) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर
6.	सरोज मीना	एम.ए. अर्थशास्त्र प्रिवियस	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर
7.	गिरधारी कारेल	रीट, एम.ए., एम.एस.सी.	सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, नागौर
8.	देवेन्द्र कवरिया	एम.एस.सी. (गणित)	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, टोंक
9.	सुनिल कुमार सैनी	एम.ए. राजनीति विज्ञान फाइनल	प्रबन्धक, अनुजा निगम लिमिटेड, अजमेर
10.	सोहनी ओला	एम.ए. अर्थशास्त्र	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, श्रीमाधोपुर, सीकर
11.	रामूराम	बीएसएनएल JAO -2017	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, जोधपुर
12.	विशाल	रिचर्स अस्टिन्ट एवं अध्यापक सीधी भर्ती (संशोधित)	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पाटन, सीकर

नोट - अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं -


1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी, उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिए जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राज्य के कार्य सम्पादन में किसी कार्य की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।

8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश देय होगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

  
(कुलदीप भटनागर)  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सम्बन्धित विभाग .....।
3. सम्बन्धित कर्मचारी श्री .....।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)